ISBN: 978-81-89839-99-4

स्त्री : प्रतिमा आणि वास्तव
स्त्री : छवि और यथार्थ
Women : Image and Reality

मुख्य संपादक
डॉ. सतीश पावडे

पायगुण
प्रकाशन
अमरावती.
Email-paaygunprakashan22@gmail.com

Scanned by CamScanner

स्थानीय राजनीति का जेंडर पक्ष और महिला शासन

मनोज कुमार गुप्ता
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,वर्धा (महाराष्ट्र)
Email- manojkumar07gupta@gmail-com
Mob& 9421530689

जहां पारिवारिक निजी दायरे में भी महिलाओं को अक्सर निर्णय की भूमिका से बाहर रखा जाता रहा हो। ऐसे में ७३वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत के तीनों स्तरों पर महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी और निर्णय की भूमिका में शामिल होने को संवैधानिकता प्रदान किया जाना निश्चित तौर पर सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। महिलाओं का पंचायतों में प्रतिनिधित्व और निर्णय प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाना कहीं न कहीं पुरुषवादी सत्ता संरचना पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। लेकिन इसकी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के ११वें सामान्य पंचायत चुनाव में ३३ प्रतिशत आरक्षित महिला सीटों के बरक्स ४० प्रतिशत से अधिक महिलाएं ग्राम पंचायत प्रमुख के रूप में चुनकर आई हैं। यह अच्छी खबर तो है पर महज संख्यातमक हिस्सेदारी को महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की सम्पूर्ण उपलब्धि मान लेना उचित नहीं होगा। ७३वें और ७४वें संशोधन के बाद कई राज्यों ने स्वत: पहल करते हुए पंचायतों में महिलाओं को ५० प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान कर महिलाओं की नेतृत्वकारी भागीदारी सुनिश्चित की है। भूमंडलीकरण और विकास की राजनीतिक सत्ता से महिलाओं का बाहर होना लगातार बहस का मुद्दा बना रहा है। शिक्षा, रोजगार एवं समान राजनीतिक हिस्सेदारी सामाजिक गैर-बराबरी खत्म करने की सबसे प्राथमिक इकाई मानी जाती रही है। १९८०-९० के दशक में गरीब और शोषित समूह को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय नीतियों का रूख भी धीरे-धीरे बदलने लगा। खासकर भारत में जेंडर समानता की बहस भी इसी दौरान तेज हुई। तीसरे विश्व महिला सम्मेलन में जेंडर मुख्यधारीकरण का प्रस्ताव रखा जाना और स्थानीय राजनीति में महिलाओं की संवैधानिक भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की मुहिम को ९० के दशक का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। हलांकि महिलाओं एवं उत्पीड़ितों के संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीयकरण, हाशिए के समुदायों एवं समाजों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना तथा आर्थिक-सामाजिक सत्ता संरचनाओं और जेंडर संबंधों के बीच जटिलताओं की वैश्विक समझ विकसित करने का वातावरण तैयार होने आदि में २०वीं सदी का अहम योगदान रहा है।

लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था में शासन को आम जन के दरवाजे तक ले आने तथा लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों की वास्तविक हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने का सबसे उपयुक्त माध्यम पंचायती राज व्यवस्था है। भारतीय संविधान सभा में देश की राज्यव्यवस्था का सांगठनिक ढांचा पंचायतों पर खड़ा करने की बात उभरी थी (कुमावत, २००४)। स्वाधीनता आंदोलन के समय से ही ग्राम स्वायत्तता के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर बल दिया जाता रहा है। महात्मा गांधी भी गांवों की आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों की लोकतान्त्रिक पुनर्रचना का सबसे बेहतर विकल्प ग्राम स्वराज्य में ही देखते थे।

स्थानीय राजनीति और महिलाएं

ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति जो भी रही हो, उन्हे आर्थिक, राजनैतिक एवं कानूनी अधिकार मिलने से उनकी प्रस्थिति में बदलाव आया है। महिलाओं की आर्थिक-सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है। दरअसल महिलाओं की प्रस्थिति में आए यह बदलाव कई ऐतिहासिक प्रयासों के परिणाम हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था की भी अपनी सीमाएं हैं, यह कोई मशीनीकृत यंत्र नहीं बल्कि यह उन सामाजिक संरचनाओं को विकेंद्रीकृत करने की कोशिश का एक ऐसा जरिया है जो जाति, वर्ग, धर्म एवं जेंडर की गैर-बराबरी का समुच्चय है। प्रजातांत्रिक, राजनैतिक प्रक्रियाओं ने भले ही वंचित और हाशिए के समुदायों को समान सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक अवसर प्रदान किया है लेकिन इनकी जमीनी हकीकत कुछ अलग ही है। महिलाओं के राजनीतिक सबलीकरण का प्रश्न विकास कार्यक्रमों, नीतियों, निर्णय की स्वायत्तता और अवसरों के कुशल नेतृत्व निर्वाह के परिवेश आदि से जुड़ा है। आर्थिक विकास आंदोलन और

ISBN: 978-81-89839-99-4

Scanned by CamScanner

कानूनी सुधारों की कवायद के संदर्भ में महिलाओं का राजनीतिक सबलीकरण वर्तमान में एक विशिष्ट पक्ष है। प्रजातंत्र में निहित जन भागीदारी की मूल अवधारणा की आंकड़ात्मक प्रस्तुति महज दस्तावेजीकरण तक ही दिखती है, जोकि चिंता का विषय है। ऐसे में महिलाओं की राजनीतिक सबलीकरण का प्रश्न निहायत जरूरी हो जाता है। ७३वां संविधान संशोधन इस दिशा में एक बेहतर कोशिश है। आरक्षण के माध्यम से विशेष रूप से पिछड़े कहे जाने वाले उन लोगों को राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिला है जिन्हें घरेलू निर्णयकारी भूमिकाओं तक से बाहर रखा जाता था।

बलवंत राय मेहता कमेटी, १९५४ द्वारा सामुदायिक विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के सुव्यवस्थित संरचना की सिफारिश से वर्ष १९५९ में राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कई सुधारों और संशोधनों से गुजरते हुए ७३वें संविधान संशोधन, १९९३ के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में परिलक्षित हुई। महिलाओं को स्थानीय राजनीति में एक तिहाई आरक्षण देने के साथ भारतीय ग्रामीण भूगोल मे एक नए लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रतिमान कायम किए जाने की मुहिम शुरू हुई। महिलाओं ने अपनी इस राजनीतिक सबलीकरण की यात्रा में तमाम चुनौतियों का सामना करने के साथ बहुत कुछ हासिल भी किया या यूं कहें कि एक अलग राजनीतिक संस्कृतिक की पृष्ठभूमि तैयार हुई जो आने वाली पीढ़ी की राजनीतिक समझ और नेतृत्व की जिम्मेदारियों में इजाफा तो करेगी ही साथ ही राष्ट्रीय राजनीति और सामाजिक परिवेश की समृद्धी में भी अपनी महती भूमिका सुनिश्चित करेंगीं। महिलाओं के सामाजिक जीवन की बढ़ती गतिशीलता और राजनीतिक भूमिकाओं का निर्वहन भारतीय वर्चस्वशाली पितृसत्तात्मक सामाजिक-राजनैतिक ढांचे में इतना आसान भी नहीं। अधिकांश सक्रिय महिला सरपंचों को ग्रामीण अभिजनों की हिंसा और अपमान का सामना एक महिला होने के नाते करना पड़ता है। हमारा कथित सभ्य नागरिक समाज दरअसल सभ्यता के नाम पर दकियानूसी सोंच और पुरुषवादी अहम का आवरण ओढ़े हुए है। वह समाज जहां महिलाओं को ऊंची आवाज में बात करने तक की मनाही होती रही है वहां महिलाओं का गांव की खुली बैठकं में निर्णय लेने का अधिकार वाकई बनी-बनाई रूढ़िवादी परम्पराओं के खिलाफ एक मजबूत ताकत है।

देश भर में आज महिलाएं स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, वे अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हो रही हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी पितृसत्तात्मक सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचा स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी में बाधक साबित हो रहा है। जो इतने वर्षों बाद भी महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक दायरे से इतर रखना चाहता है। व्यावहारिक स्तर पर देखा जाय तो, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को अपनी प्रभावी पहल कदमियों के बावजूद पितृसत्तात्मक समाज के नकारात्मक रवैये को चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ता है, घर के अंदर और बाहर पुरुषों के षड्यंत्र एवं वर्चस्व का सामना करना पड़ता है। दलित, आदिवासी और सवर्ण महिला प्रतनिधियों को भिन्न-भिन्न रूपों में पुरुष वर्चस्व का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीण राजनीतिक परिवेश और महिला शासन

ग्रामीण राजनैतिक परिवेश में ७३वें संविधान संशोधन के पूर्व तक महिलाओं की राजनीतिक भूमिका नगण्य रही है। लेकिन आज महिलाएं गांव से लेकर जिला स्तर तक अपनी राजनीतिक भूमिकाओं का निर्वाह कर रही हैं। स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं में निर्वाचित महिला उम्मीदवार ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे रही हैं। यद्यपि महिलाओं के लिए यह एक नई दुनिया तो है ही साथ ही सामंती सोंच से पोषित पुरुषवादी वर्चस्व भी महिला शासन के सामने चुनौतीपूर्ण स्थिति है। सिद्धान्त और व्यवहार के स्तर पर वर्तमान लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का राजनीतिक परिवेश ऐसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। अपनी दो दशकीय संवैधानिक विकास यात्रा में पंचायती राज संस्थाओं ने तमाम बाधाओं के साथ-साथ एक नई ग्रामीण राजनीतिक विश्वदृष्टि विकसित की है, जिसने ग्रामीण जनों में जाति-वर्ग और स्त्री-पुरुष आधारित स्वीकार्य पदानुक्रमिकताओं को दरकिनार कर समानता की राजनीतिक चेतना विकसित करने की कोशिश की है। भारतीय स्वाधीनता के पश्चात औपनिवेशिक जड़ता को समाप्त कर सामाजिक गैर-बराबरी और अवसरों के बेतरतीब बंटवारे की परिपाटी से निजात पाने के लिए जिन संवैधानिक नीतियों का सहारा लिया गया, ७३वां संविधान संशोधन उसी कड़ी का एक हिस्सा रहा है। आर्थिक बराबरी देश की समृद्धि के लिए आवश्यक है और उसे

ISBN: 978-81-89839-99-4

Scanned by CamScanner

स्थायीत्व प्रदान करने हेतु राजनैतिक बराबरी और जन-भागीदारी नितांत आवश्यक है। राजनीतिक सबलीकरण किसी भी देश की जनता के जीवन अवसरों में वृद्धि करने के साथ उसकी जीवन शैली में भी सुधार का मार्ग प्रसस्त करता है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा प्रजातंत्र की संवैधानिक घोषणा जो एक रूप में समतामूलक समाज की गारंटी रही है। लेकिन क्या हमारा नागरिक समाज जो तमाम विविध ताओं से युक्त है वह इस संवैधानिक घोषणा को स्वीकार करने को तैयार है? दरअसल व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनाओं की रूढ़िवादी परवरिश और दकियानूसी सोंच के चलते लोगों के कार्य-व्यवहार और उनकी सामाजिक भूमिकाओं को जाति-धर्म-वर्ग और बहुत ही बारीकी से स्त्री-पुरुष के प्रचलित ढांचे के अनुरूप बांटा जाता रहा है, जिसकी सहज स्वीकृति भी होती रही है।

ग्रामीण क्षेत्र के राजनीतिक भूगोल में यदि हम महिलाओं की स्थिति देखें तो वह आज भी बहुत बेहतर नहीं हो पायी है। फिर भी महिलाओं को मिले कानूनी और राजनीतिक रूप से सामाजिक गतिशीलता के संवैधानिक अधिकारों से कहीं न कहीं उन्हें एक ऐसा लोकतांत्रिक आधार मिला है जहां से वे एक बेहतर शुरुआत कर सकती हैं। महिलाओं की सक्रियता और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के चलते ग्रामीण जीवन और राजनीतिक परिवेश में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। शासन-प्रशासन में ग्रामीण जनता की हिस्सेदारी बढ़ने से उनकी राजनीतिक चेतना का भी विकास हुआ है। लोगों को अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों को लेकर जागरूकता बढ़ी है। ग्रामीण समाजों में महिलाओं की निर्णयकारी भूमिकाओं में प्रवेश ने सामंती सोंच और वर्चस्व के बरक्स एक क्रांतिकारी कदम अख्तियार किया है। महिलाएं और हाशिए के अन्य समुदाय जो लगातार ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यूह रचना के शिकार होते रहे थे, तमाम व्यावहारिक चुनौतियों को लांघते हुए अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं जोकि भारतीय लोकतंत्र और समतामूलक समाज के स्थापना की महत्वपूर्ण कड़ी है।

संदर्भ सूची-

- ☐ सईद, एस. एम.(२०१६). भारतीय राजनीतिक व्यवस्था. लखनऊरू भारत बुक सेंटर.
- ☐ कोठारी, रजनी. - दुबे, अभय कुमार (सं.). (२०१०). भारत में राजनीति कल और आज. दिल्लीरू वाणी प्रकाशन.
- ☐ मल, डॉ. पूरण. (२००९).नवीन पंचायती राज एवं महिला नेतृत्व.जयपुररूपोइंटर पब्लिशर्स.
- ☐ मिश्र, कृष्णकांत.(२००१).राजनीतिक सिद्धान्त और शासन.नई दिल्लीरू ग्रंथ शिल्पी.
- ☐ कुमावत, डॉ. ललित.(२००४). पंचायती राज एवं वंचित महिला समूह का नेतृत्व. नई दिल्लीरू क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी
- ☐ Raghunandan, T. R.(2015). Decentralisation and local democracy.New Delhi:Orient BlackSwan.
- ☐ http://wwwmediaforrightsorg/women&rights/hindi&articles/२५५- ग्रामीण-विकास -और-महिला -जनप्रतिनिधियों- की-भागीदारी (19/08/17)
- ☐ पंचायती राज अपडेटय जून,२०१७ (वर्ष १०, अंक ६). इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, नई दिल्ली

◆◆◆

Scanned by CamScanner